न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. किशनलाल पुत्र उदाराम जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप पुत्र बसराम जाति बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उप जिलाधीश दौसा।
3. तहसीलदार बसवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन दिनांक 10.11.70 बहक धापा बेवा छोटू बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री घनश्याम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 13.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 958 जिसके हाल खसरा नम्बर 2304/3963 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम अरनिया तहसील बसवा का आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से मौके के विपरीत अप्रार्थी सं0 1 की पूर्वज धांपा के नाम दिनांक 10.11.70 को कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स 1970 पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की आवंटन से पूर्व या आवंटन के समय अप्रार्थी सं. 01 की पूर्वज धांपा का कोई कब्जा काश्त उक्त आवंटन आदेश से सम्बन्धित भूमि पर नहीं रहा है और न ही आज भी इस भूमि पर कब्जा है न कोई काश्त की है। आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटन के बाद प्रथम वर्ष में आधी व द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि काश्त करना आवश्यक है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की और कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की। धांपा के वारिस अप्रार्थी सं0 1 का अथवा अप्रार्थी सं0 1 के मृतक पिता बसराम का भी इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। बल्कि आज भी प्रार्थी उजरदार का मौके पर कब्जाकाश्त है। प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी उजरदार के पिता ने अपने जीवनकाल में लगभग 50 वर्षों से भूमि का विकास कर भूमि सुधार व काबिल काश्त करने में हजारों रूपया लगाकर काश्त योग्य बनाया है। आवंटन के समय मौके पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई न आवंटन कमेटी ने इस

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट ली। आवंटन कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं था। आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा नहीं की और ना ही खाली भूमि की कोई सूची ही बनाई। कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन किया सकता है। आवंटन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही नियमों के विरूद्ध की गई है। अतः अप्रार्थी सं01 के पूर्वज धांपा के हक में किया गया भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की दादी मु0 धापा देवी पत्नि छोटेलाल उर्फ छोटू के नाम दिनांक 10.11.1970 को ग्राम अरनिया में भूमि रकबा 5 बीघा आवंटन हुआ था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। धापा के एक मात्र वारिस विश्राम था जो कि अप्रार्थी का पिता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मु0 धापा देवी पत्नि छोटू का एक मात्र वारिस अप्रार्थी सं0 1 है,जिसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर किशनलाल पुत्र उदाराम जाति गुर्जर निवासी अरनिया का ही कब्जा चला आता रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य से सहमत होते हुए अवगत कराया गया कि अप्रार्थी दिलीप की दादी धापा देवी व उसके पिता विश्राम ने कभी भी कब्जा काश्त नहीं किया है। उक्त आवंटनशुदा भमि में अप्रार्थी सं0 1 दिलीप व उसके पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं रहा है। उक्त भूमि में किशनलाल गुर्जर ही काबिज काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी काश्त कर रखी है। उक्त विवादित आवंटनशुदा भूमि के आवंटन को निरस्त करने या कब्जे काश्त वाले व्यक्ति किशनलाल को आवंटन किया जाने में अप्रार्थी सं0 1 दिलीप को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 दिलीप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.1.2018 मय शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी सं 0 1 अथवा उसकी पूर्वज आवंटी धांपा देवी एवं पिता का प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 से सम्बन्धित आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। और उक्त आवंटन आदेश को खारिज किये जाने में अप्रार्थी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 बहक मु0 धापा पत्नि छोटू बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन रूल्स 1970 स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा